अत्यन्त महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या 24 /लो0शि0-6/2018

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2018

विषयः- कारागारों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृण करने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि जाड़े के मौसम में दिन छोटे हो जाने के कारण, कोहरे के प्रभाव के कारण दृश्यता (**Visibility**) कम हो जाती है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को अत्यन्त चाक-चौबन्द किये जाने की आवश्यकता है। प्रकाश व्यवस्था विशेष रूप से मुख्य प्राचीर एवं कारागार के उन भागों में अधिक प्रभावी की जाय जहॉ बंदियों को छिपने की सम्भावना हो, ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर बंदी पलायन आदि का प्रयास न करें। मुख्य प्राचीर एवं अन्य स्थानों पर उगी हुई अनावश्यक झाड़ियों, लताओं आदि को भी साफ करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मुख्य प्राचीर एवं अन्य स्थानों पर लगाये गये वार्डर संवर्ग के कार्मिक एवं होमगार्ड अपनी निर्धारित डियूटी स्थल पर मौजूद हैं कि नहीं, ताकि उनकी अनुपस्थित का लाभ कोई बंदी न उठा सके। इसके लिए कारागार के उप कारापाल, कारापाल एवं अधीक्षक स्वयं विभिन्न अन्तरालों पर कारागार के प्रत्येक भाग का भ्रमण सुनिश्चित करते रहें।

कारागार में आने वाले मुलाकाती एवं अदालत से आने वाले बन्दियों की तलाशी भी सघनतापूर्वक करायी जाए, ताकि कोई व्यक्ति अथवा बन्दी मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई निषिद्ध वस्तु कारागार के अन्दर न ले जा सकें। बैरकों की तलाशी भी नियमित रूप से करायी जाए, ताकि मोबाइल फोन का प्रयोग न हो सके। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से मिलकर पुलिस बल प्राप्त कर कारागार की तलाशी करा ली जाए।

कारागारों में बन्दियों की सुरक्षा का भी समुचित ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक आधार पर एक कारागार से दूसरी कारागार पर आये हुए बन्दियों को उनकी पृष्ठभूमि तथा उनके विरोधी गुटों के पूर्व से ही कारागार में निरूद्ध बन्दियों के दृष्टिगत अलग-अलग अहातों में रखा जाए। बन्दियों के कारागार में अनावश्यक आवागमन को नियंत्रित रखा जाए। बन्दियों को न्यायालय में पेशी पर भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनकी तलबी सम्बन्धित न्यायालय द्वारा ही नियमानुसार भेजी गयी है । बन्दियों को यदि कारागार से बाह्य चिकित्सालय आदि भेजा जाना है तो उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर प्रर्याप्त मात्र में पुलिस बल के साथ पूर्ण सुरक्षा के साथ भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कारागार में किसी प्रकार की पलायन, हत्या एवं हिंसा जैसी कोई घटना घटित न हो सके। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्देश देकर कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार का होगा।

23/11/18
(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0- (1)/ लो0शि0-6 /2018 लखनऊ : तद्दिनांक नवंबर, 2018

प्रतिलिपि- समस्त उप महानिरीक्षक कारागारों को निर्देश के साथ प्रेषित कि वह इस मौसम में कारागारों का नियमित एवं प्रभावी भ्रमण करते हुये उपरोक्त निर्देशों का अनुश्रवण सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की चूक हो रही हो तो उसको अधीक्षक के संज्ञान में लाते हुये उसका निराकरण कराते हुये कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।